

193

3196

20/MAY/03

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम नायफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 34 के खसरा नं० 347, 345,
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

प्रमाणित

For DEPT. OF P. & R. Secy.

Authorised Signatory

312

20/MAY/03

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम नायफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 34 के खसरा नं० 347,
345,
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

५३४७५१२१

Sanjivani (GATE) 14.08.2019

Available at: <http://www.elsevier.com/locate/bsc>

7.792.912.00 / 7.792.912.00

0.000.00

100

10,100.00

5.0000

पनिपल्ल

प्राविष्टान्

परीक्षा राज्यास्य

नव्यता के प्रति भावना

योग

अथ सगंधः

श्री ०० उष्णल यडवा द्वारा विज्ञापित विद्य
यश श्री डी एन विद्य

व्यवसाय व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी स्थान 33 कम्पनिटी सेंटर दिल्ली

अध्यायी पञ्च

ॐ गङ्गा मैत्रेयप्रभु इन्द्राचार्यस्य भवेति दिनांक 10/4/2013 समय 4:23PM

यजं विवन्धनं ह्यं वेऽ विव्या ।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

रुप निबन्धक, प्रथम

गजियाबाद

10/4/2013

निष्पादन नैष्पत्य वाद सुनने य समझने मजसुन व प्राप्ता धनराशि रु. पलेखानुसार उक्त

पिष्टम् ।

पैसा

श्री ब्रह्मप्रकाश
पुत्र श्री सूपत सिंह
पेशा व्यापार/अन्व/स्त्री
नियासी दर्याई गी ४० नगर

श्री १० सम्पत्त सभा द्वारा विजेन्द्र सिंह
पुत्र श्री की एस विट
पैसा व्यापार/अन्ध/स्त्री
निवासी 33 कम्पनिटी सेंटर दिल्ली

ने निष्पादन स्वांक्षर क्रिया ।

जिनसे पाठवान श्री वीरपाय

पत्र श्री जीतराम

पेक्षा स्थापार/अन्य/सत्री

निवासा दुर्गेश्वर शो ब्रू नगर

व श्री रवि

पुत्र श्री नरसिंह

देशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निर्वाह: नाथरुल गायक

ने ली ।

प्राप्तकर्ता यह स्थितियों के निशान अंगुठी निबधानुसार स्थिरे गर्ये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक, प्रथम

गाजियाबाद

10/4/2013

(2)

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.543166 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर इत्यादि) N.A
9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
10. प्रतिफल की धनराशि 77,92,912/- रुपये
11. पेड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है

१३/०५/२०२१

सहस्रमुखी नगरपालिका
नगर प्रमुख

विप्रेरता

Registration No. 3116

Year: 2013

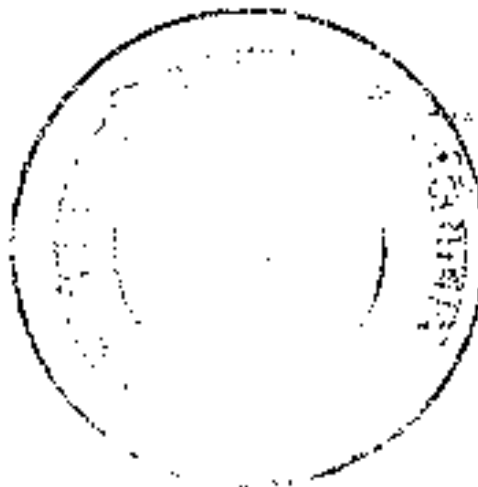
Book No.: 1

0101 महामाकाल ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सूर्य सिंह

दुर्योधन गौड़ नगर

व्यापार/उद्योग/पेशा



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम : ब्रह्म प्रकाश

पिता का नाम : श्री सूरत सिंह

स्थायी पता : ग्राम दुरवाई परगना व तहसील ददरी जिला गौतमबुद्धनगर

पहचान पत्र नं० : UP/779/387/0540113

ब्रह्म प्रकाश

ब्रह्म प्रकाश

1

क्रेता

Registration No. : 3116

Year : 2013

Book No. : 1

0201 श्री लखन चण्डा द्वारा लिखित विषय
की एम विषय
2.7 कम्प्यूटरी सैन्टर क्रेडिट
व्यापार/अन्य/स्वी



(4)

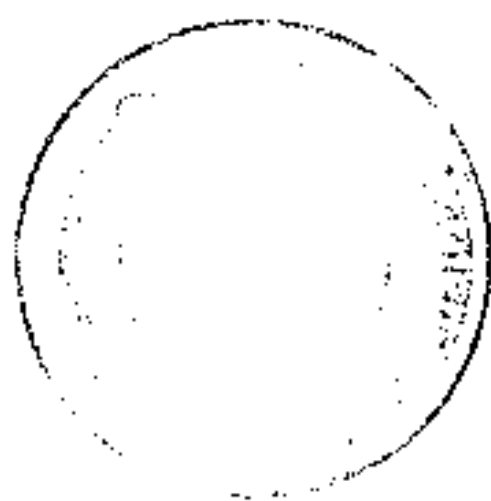
क्रेता का विवरण:-

1. नाम : मैसर्स उषल चढढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री
त्रिजेश बिष्ट
पिता का नाम : श्री डी० एस० बिष्ट
स्थायी पता : 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली
पहचान पत्र नं०: BQF1572676

अनुमोदित

FOR OFFICIAL USE ONLY

1



विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 77,92,912.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर पर प्रसंगत गूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या क०नि०-5-893/ ग्यारह- 2010 500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कंसर्शियम क्रेता स्टैम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

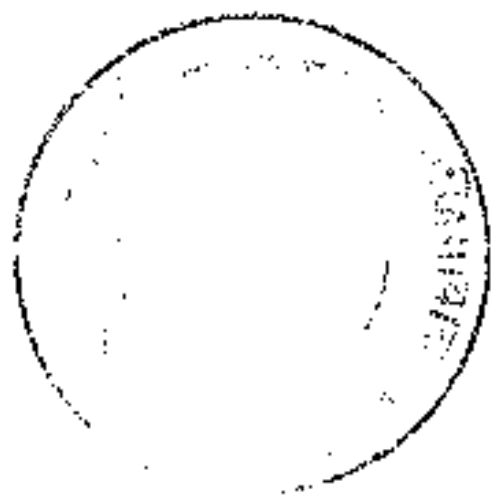
मैं कि ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्री सूरत सिंह निवासी ग्राम दुरयाई परगना त तहसील दादरी त जिला गौतमबुद्धनगर (फरीक अव्वल/विक्रेता)।

एवम

मैसर्स जयपाल चदढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्स कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट पुत्र श्री जी. एम. बिष्ट, 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्स कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

5-4-2011

10/4/11



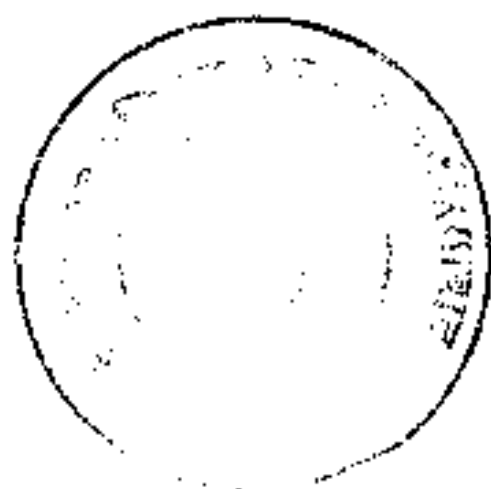
विक्रीत भूमि का विवरण

- (1) ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), में स्थित कृषि भूमि खाता नं० 34 के खसरा नं० 347 रकबा 3.2330 हैक्टे० व खसरा नंबर 345 रकबा 0.0260 हैक्टे० कुल रकबा 3.2590 हैक्टे० का 1/6 भाग रकबा 0.543166 हैक्टे० के प्रथम पक्ष विक्रेता अनुसार खतौनी 1416-1421 फसली पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।
- (2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,23,51,780/- रुपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रु० 1,43,47,200/- प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 77,92,912/- रुपये सत्तहेतर लाख बानवें हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र) में तय है।
- (3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।
- (4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, पहचान पत्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।
- (5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही लम्बित है।

92m5m12

19 APR 2024

12/11

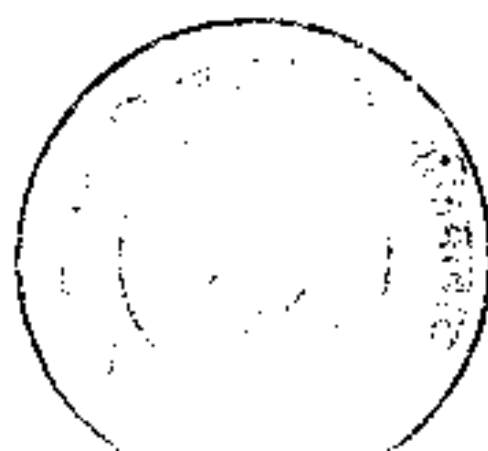


(6) विक्रीत मिलिकयत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कहीं नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अब्बल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 34 के खसरा नं० 347 रकबा 3.2330 हैक्टे० व खसरा नंबर 345 रकबा 0.0260 हैक्टे० कुल रकबा 3.2590 हैक्टे० का 1/8 भाग रकबा 0.543166 हैक्टे० स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उराके हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त गराई, हर किरग कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय घनराशी अंकन- 77,92,912/- रुपये सत्तहत्तर लाख नानवें हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 38,96,456/- रुपये (अड़तीस लाख छियानवें हजार चार सौ छप्पन रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दायम क्रेता उपरोक्त गैरारर उष्पल चढ़दा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दायम/क्रेता)। अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बैय दिया है और भूमि की कुल विक्रय घनराशी हम विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय घनराशी बाकी नहीं रही है।

७२५५५५२





(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक कानिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहुरियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत सम्बन्ध कगजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकगजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते हैं, हम फरीक अव्वल को कोई उत्तराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिल्कियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कमी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी कानूनी मुकदमा आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मथ हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेता के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का सम्बन्ध स्वर्ग क्रेता ने वहन किया है।

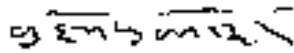
(13) अतः यह विक्रय पत्र खून सोच रागझकर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।





(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.543166 हैक्टेयर, खाता नं० 34 के खसरा नंबर 347 व 345 स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:

(15) यश बैंक लि०, ग्राउन्ड फ्लोर, जी-1, 2, 3, चिरंजीव टावर, 43 नहेरू प्लेस, नई दिल्ली-19 बैंक नंबर अंकन 77,92,912/- रुपये सत्ताहेतर लाख बानवे हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र) दिनांकित फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं।



(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)



(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दायम (क्रेता)

गवाह नं० 1

वीरपाल ठा० जीहराम
शाम कुरमाई ठा० बल्लुवार

गवाह नं० 2

राधे ठा० नंदलाल
नायफल गाँववाले

तहरीर दिनांक मसौदा



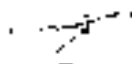
आज दिनांक 10/04/2013 को

वही नं 1 ज़िन्द नं 10924

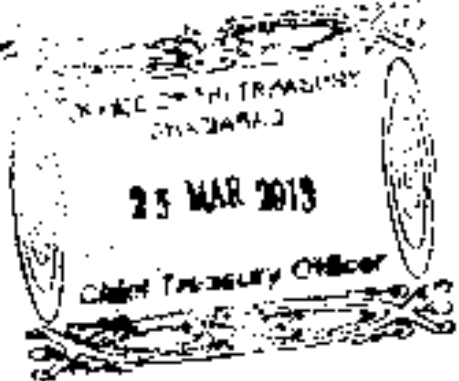
पृष्ठ नं 229 से 240 पर क्रमांक 3116

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रार अदालत के हस्ताक्षर


उप निबन्धक, प्रथम
गाजियाबाद
10/4/2013





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान में
श्री पुत्र/पति
निवक्षी ग्राम परगना तहसील
व जिला
प्रथम पक्ष

एवं

गैर पंजीकृत
कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा
पुत्र.....

द्वितीय पक्ष

विदिता हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
जिला में स्थित भूमि खाता सं० स्वसरा सं०
158, 160 कुल एकवा 2246333 हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
संक्रमणीय भूमिधर गालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिरसेदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

2012/1

.....
.....
.....
.....
.....
.....

UPPAL CHANDRA K. TECH DEVELOPERS PVT. LTD.
NEW DELHI

राजेश कुमार स्वाम्य विक्रेता
लॉइसेंस नम्बर 350
मार्ग-१० की अवधि 31 मार्च
नगरपालिका, गाँविकायक

.....
.....
.....
.....
.....
.....

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जों सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि राब रजिस्ट्रार कार्यालय में बही सं० के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु० /- द्वारा बैंक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लागू या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

२२/०८/२०२१

3. यह कि विवर्जित भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा। रामरत्न अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के गृहखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। रामरत्न अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा बैंक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये हैं।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

१३/६/२०११

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.

दि. तारीख 26/04/2013

प्रिय मित्रों मैं आपका धन्यवाद है।

आजिब मित्रों आपकी सेवा की मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।

श्री सुरेश श्री. नाथलाल श्री. दासना लक्ष्मी. श्री. नाथलाल

श्री. नाथलाल श्री. नाथलाल श्री. नाथलाल श्री. नाथलाल श्री. नाथलाल

है। आपकी सेवा बहुत ही अच्छी है। आपकी सेवा में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।

आपकी सेवा बहुत ही अच्छी है।

Khatana. 34

Khatana. 343, 345

Signature

सेवा में

आस्था प्रबंधक

उपप्रधान प्राधिकार क्षेत्र

आंध्र प्रदेश

विषय - अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी/प्रार्थी गण ने अपनी भूमि जिराका
खाता संख्या 34 खतारा नम्बर 343, रकबा 5431.66 स्थित ग्राम ~~...~~
परगना ~~...~~ व तहसील ~~...~~ जिला ~~...~~
मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में उपलब्ध चढ़ाई हाईटेक डेवेलपर्स प्रा० लि०
की बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

कृष्ण प्रकाश S/N 1000

No 1000

34/5/13

...

...